

From no|||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

-०२००

बनाम

कुकमोदेवी

किस्म मुकदमा :- २५(ए) R.T.Act

नंबर ..... १३ वर्ष २०१५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१२-६-२५	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप. तहसीलदार, रूपनगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की, और इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक २६-६-२५ को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
२६-६-२५	गार एसी, रूपनगढ़ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक २५-७-२५ को पेश हो।	
२५-७-२५	गार एसी, रूपनगढ़ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक १४-८-२५ को पेश हो।	
१४-८-२५	गार एसी, रूपनगढ़ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक २८-८-२५ को पेश हो।	
२८-८-२५	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप. तहसीलदार, रूपनगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की, और इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक ५-९-२५ को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
५-९-२५	गार एसी, रूपनगढ़ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ११-९-२५ को पेश हो।	
११-९-२५	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य प्रकरण सं. ०३/२०१३ उनवान	

सु.न. 12/15 धवण / क.क.मा.दे.व.

धवण बनाम इन्दराज में आज दिनांक  
11-9-25 को निर्णय पारित किया जा चुका  
है उक्त प्रकरण में पार्टी द्वारा वांछित  
अनुतोष प्रकरण सं. 03/2023-धवण बनाम  
इन्दराज द्वारा दिया जा चुका है, इन कारण  
उक्त प्रकरण का कोई औचित्य नहीं होने  
से पार्टी का प्रार्थना-प्रकारित किया  
जाता है

परावली फ़ैसल सुमार होकर नोबर  
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)